B.A Part III Paper VI (H) 1

लार्ड कार्नवालिस के सुधार / Reforms of Cornwallis

भारतीय इतिहास में लार्ड कार्नवालिस को अपने सुधारों के कारण विशेष स्थान प्राप्त है। 1786 में कम्पनी ने "पिट्स इंडिया एक्ट" के अनुसार शान्ति स्थापना तथा शासन के पुनर्गठन के लिये लार्ड कार्नवालिस को गवर्नर जेनरल ~~बनाकर~~ बनाकर भारत भेजा। उसे विशेषकर एक निर्दोष शासक व्यक्ति कर ~~[illegible]~~ व्यवस्था स्थापित करना, एक ईमानदार तथा कार्यक्षम न्याय व्यवस्था बनाना, तथा कम्पनी के व्यापार विभाग का पुनर्गठन करना था। अपने सुधारों के द्वारा कार्नवालिस ने कम्पनी के शासन को एक निश्चित दिशा और ढांचा प्रदान किया। उसी आधार पर थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ कम्पनी का शासन अंग्रेजी ताज के अधीन जाने तक (1858 ई०) बना रहा। लॉर्ड कार्नवालिस ने हेस्टिंग्स के सुधारों से ही प्रेरणा ली और उन्हें व्यवहारिक रूप आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन कर उन्हें लागू किया।

प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)

कार्नवालिस ने सबसे पहले प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया। कार्नवालिस भारतीयों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। कम्पनी के महत्वपूर्ण पदों के लिये वह भारतीयों को अयोग्य एवं भ्रष्ट मानता था।

(i) लार्ड कार्नवालिस ने सर्व प्रथम अपने व्यक्तिगत उदाहरण देकर कम्पनी के कर्मचारियों में ईमानदारी तथा आदर्श नीति की भावना उत्पन्न की।

(ii) उसने ईमानदारी की भावना उत्पन्न होने के कारण उसने कम्पनी को पक्षपात ~~[illegible]~~ दोषों से बचाने का प्रयास किया।

(iii) उसने अनेक अनावश्यक पदों को समाप्त कर दिया। कम्पनी के संचालकों और कर्मचारियों को

(iv) उसने कम्पनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का ~~[illegible]~~ प्रस्ताव किया ताकि वे किसी प्रकार के ~~[illegible]~~ लालच में नहीं पड़ें।

(v) निजी व्यापार तथा भ्रष्टाचारी को रोकने के लिये नियम बनाया गया।

(vi) कार्नवालिस के इन कार्यों से शासन व्यवस्था में नई ~~[illegible]~~ निखार आई तथा कम्पनी के कर्मचारी ईमानदार, स्वच्छता और कर्तव्यनिष्ठ बन गये।

Scanned with CamScanner

न्याय सम्बन्धी सुधार

लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय के क्षेत्र में "शक्ति के पृथक्करण" का सिद्धान्त अपनाया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कलक्टरों से सभी न्याय सम्बन्धी अधिकार वापस ले लिये गये। उनके जिम्मे केवल लगान वसूली और इससे सम्बन्धित मामले ही रह गये। जिले के फौजदारी एवं न्यायिक कार्यों के सम्पादन के लिये प्रत्येक जिले में न्यायालयों की स्थापना की गई। अब जिला न्यायालयों को दीवानी, फौजदारी एवं पुलिस सम्बन्धी मामलों के निपटाने का अधिकार दिया गया।

दीवानी न्यायालयों का पुनर्गठन — दीवानी मुकदमों को निपटाने के लिये विभिन्न स्तरों पर अनेक दीवानी न्यायालयों की स्थापना की गई। सबसे निचला न्यायालय मुन्सिफ तथा रजिस्ट्रार का होता था। मुन्सिफ 50 रु० तथा रजिस्ट्रार 200 रु० तक के मुकदमे को सुनने का अधिकार था। जिला न्यायालयों में एक अंग्रेज जज तथा कुछ भारतीय कर्मचारी होते थे। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील प्रान्तीय न्यायालय में होती थी। प्रान्तीय न्यायालय कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना में था। प्रान्तीय न्यायालय कलकत्ता। दीवानी सदर अदालत गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल के अधीन होती थी।

फौजदारी न्यायालयों का पुनर्गठन

दीवानी न्यायालय के समान ही फौजदारी न्यायालयों का भी पुनर्गठन किया गया। इस में सबसे छोटा न्यायालय दारोगा का होता था, और छोटे छोटे मुकदमों का निर्णय करते थे। प्रायः भारतीय ही दारोगा होते थे। इनके निर्णय के खिलाफ अपील जिला सेशन जज के न्यायालय में होती थी। फौजदारी न्यायालय का कलकत्ता में सदर निजामत अदालत अंतिम कोर्ट था। किसी अपराधी को फौजदारी मुकदमा का मृत्युदंड देने के पूर्व इसकी इजाजत लेनी पड़ती थी। प्रान्तीय न्यायालय के जजों को दौरा जज बनाया गया। भारतीय अधिकारियों के अधीन काम करनेवाली जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया।

अब जिला न्यायाधीशों को ही यह अधिकार दिया गया कि अपराधियों को तथा कानून तोड़ने वालों को सजा [illegible] कर सके। छोटे-छोटे मामलों को स्वयं ही फैसला करें। तथा फौजदारी मामलों को दौरा न्यायालय के समक्ष रखें। 1790 में मुसलमान न्यायाधीशों के स्थान पर [illegible] बनाया गया। इसके अनुसार [illegible] एक विधान बनाया गया। हत्या के मामलों में हत्यारे की भावना पर अधिक बल देने को कहा गया। हत्यारे के अस्त्र और तरीका पर नहीं। मृतक के अभिभावकों की इच्छा से क्षमा करने अथवा रक्त मूल्य निर्धारित करने की प्रथा समाप्त कर दी गयी। अंग भंग की सजा पर कठोर सजायें देने की व्यवस्था की गई। 1793 ई० में यह व्यवस्था की गई कि धार्मिक विरोध का मुकदमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े।

कॉर्नवालिस कोड की स्थापना – न्याय व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से कॉर्नवालिस ने विभिन्न नियमों को संकलित करके एक न्याय विधान का निर्माण किया। इसे "कॉर्नवालिस कोड" कहा गया।

पुलिस सुधार (Police Reforms) – कॉर्नवालिस से पहले अलग-अलग क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था का उत्तरदायित्व जमींदारों पर था।

(i) कॉर्नवालिस ने एक नये पुलिस विभाग की स्थापना की तथा जमींदारों को पुलिस सम्बन्धी अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

(ii) प्रत्येक जिले को अनेक थानों में बाँट दिया गया। और प्रत्येक थाना में एक दारोगा की नियुक्ति की गई। (कई सिपाही होते थे) तथा उनकी सहायता के लिये सिपाही होते थे।

(iii) दारोगा जिला मजिस्ट्रेट के अधीन होते थे।

(iv) पुलिस-प्रशासन को प्रोत्साहित करने तथा ईमानदार बनाने के विचार से मजिस्ट्रेट को चोरी का माल पकड़ने पर 10% कमीशन दिया जाता था। इसी प्रकार प्रत्येक डाकू को पकड़ने पर उसे एक निश्चित राशि देने का प्रावधान किया गया।

(v) पुलिस व्यवस्था पर खर्च की पूर्ति के लिये बड़े-बड़े दुकानदारों पर कर लगा दिया गया।

–4

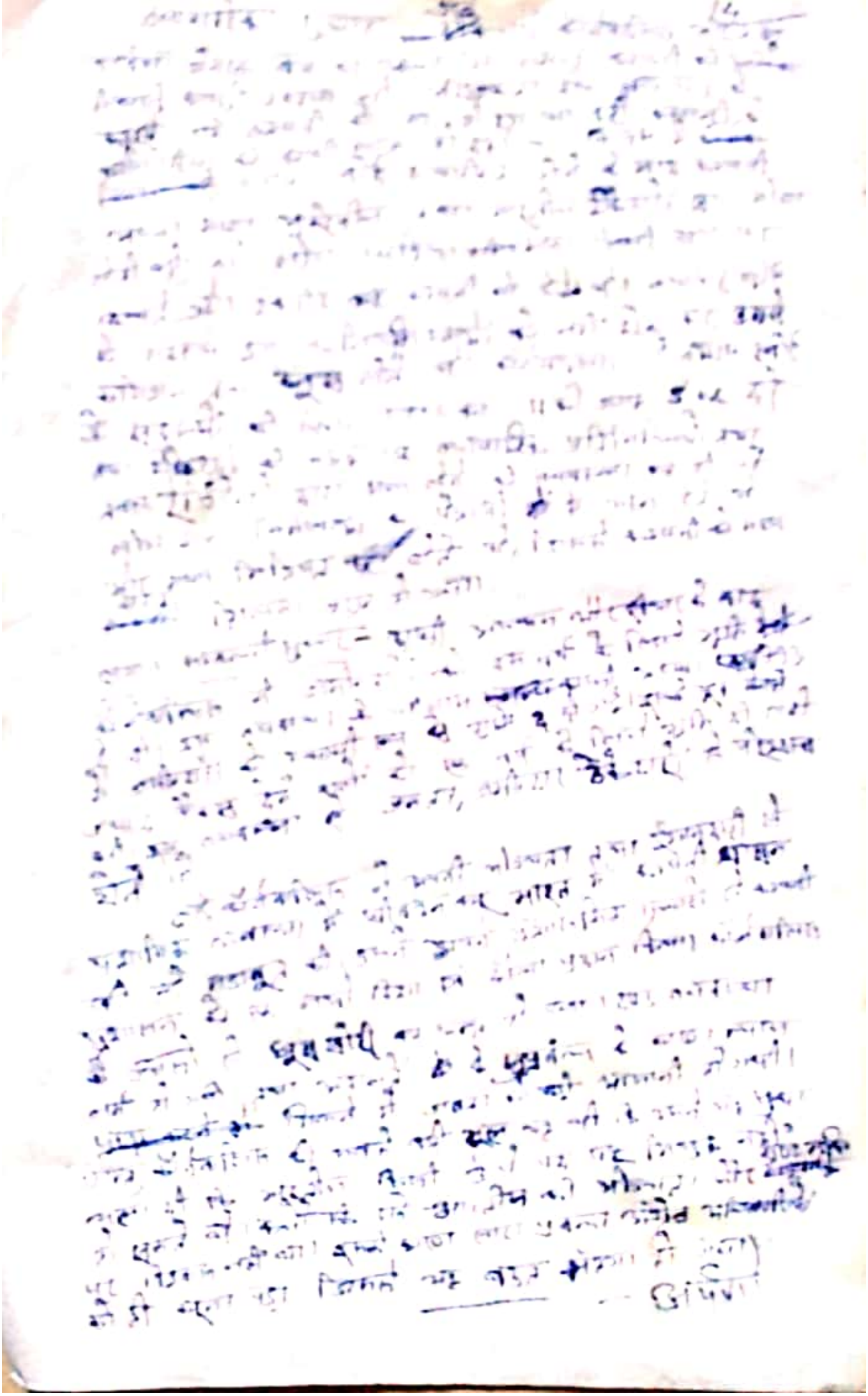

Scanned with CamScanner